द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लयामेंट एज मैन्युअल स्क्वैन्जिग एण्ड देअर रिहेबिलिटेशन अधिनियम 2013 के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय गरिमा अभियान द्वारा प्रस्तावित नियम

द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लयामेंट एज मैन्युअल स्क्वैन्जिंग एण्ड देअर रिहेबिलिटेशन नियम 2013

अध्याय I
प्रारंभ एवं परिभाषाएं

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम **द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लयामेंट एज मैन्युअल स्क्वैन्जिंग एण्ड देअर रिहेबिलिटेशन नियम 2013** है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं – इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) ''मैला ढोने'' से तात्पर्य मानव मल को किसी स्थान से उठाना और फेंकना है। यानी यदि कोई व्यक्ति मानव मल चाहे शौचालय से, सडको से गड्डे से या अन्यत्र किसी स्थान से फैकने को मैला ढोना माना जाएगा।

(ग) ''मुक्ति'' से अभिप्राय मैला ढोने की प्रथा से मुक्त होना यानी इस काम को छोड़ना है।

(घ) ''पुनर्वास'' से अभिप्राय इस काम को करने वाले लोगों द्वारा यह काम छोड़ दिए जाने पर उन्हें सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा प्रदत्त करना है। उन्हें आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराते हुए उनकी सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। जिसमें उनकी आजीविका, शिक्षा, भूमि व आवास के लिए स्थाई संसाधन प्रदत्त करना।

(ड) ''मैला ढोन वाले'' – जो लोग किसी भी रूप में मानव मल व मानव मल से संबंधित गंदगी को साफ करने, उसे एक स्थान जिसमें शौचालय, टैंक, सड़क, अन्य प्रकार के रास्ते, मैदान व किसी भी स्थान से हटा कर दूसरे स्थान पर फेंकने का काम करते है, उन्हें ''मैला ढोने वाले'' माना जाएगा।

(च) ''मैला ढोना छोड़ चुके'' –लोग या परिवार में उनके माता, पिता, पुत्र, पुत्रिया, बहू, दादा, दादी मैला ढोने का काम पहले से करते रहें है और ''शुष्क शौचालय प्रतिषेध अधिनियम 1993 के लागू होने की तारीख को या उसके बाद यह काम छोड़ दिया हो।

(ए) ''एजेन्सी से तत्पर्य ऐसी किसी एजेंन्सी से है जो स्थानीय प्राधिकरण जिसमें अंतर्गत सेनिटेशन फेसिलिटी शामिल है, और जो उस क्षेत्र में शामिल है, या उस क्षेत्र की नियंत्रक है या कंपनी है जो रियल स्टेट के विकास और प्रबंधन लगी

3. इन नियमों के लागू होने के बाद ''एम्लायमेंट ऑफ मैन्युअल स्क्वैन्जर्स एण्ड कन्स्ट्रक्श ऑफ ड्राय लेट्रीन (प्रोव्हिबिजन) नियम 1993'' के नियम स्वतः समाप्त हो जाएंगे और प्रस्तुत नियम लागू होंगे।

अध्याय II

अस्वच्छ शौचालयों का चिन्हिकरण

4 प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उनके प्राधिकार के क्षेत्र में शुष्क शौचालयों को चिन्हित किया जाएगाः–

(1) इसके लिए ग्रामीण, नगरीय एवं शहरी क्षेत्र में सर्वेक्षण कर वहां उपयोग किए जा रहे, या वहां मौजूद शुष्क शौचालयों को चिन्हित किया जाएगा।

(2) यह सर्वेक्षण स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा, तथा जो जिला स्तर पर कलेक्टर की निगरानी में होगा।

(3) इस सर्वेक्षण में समुदाय की सहभागिता के लिए एक सहभागी समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें मैला ढोने की प्रथा में लगे व्यक्ति, स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधि तथा इस मुद्दे पर कार्यरत् स्वयं सेवी संस्था के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। सर्वेकर्ता साप्ताहिक रूप से सर्वे कार्य की प्रगति की रिपोर्ट इस समिति को देंगे।

5. अस्वच्छ शौचालय, शुष्क शौचालय का सर्वेक्षण इन नियमों के राजपत्र में प्रकाशित होने के दो माह के अंदर शुरू कर दिया जाएगा तथा सर्वेक्षण के दौरान चिहिन्त किए गए शुष्क शौचालयों को उनके चिन्हित किए जाने के 15 दिनों के अंदर उनके मालिकों या उनके प्रबंधकों को उन्हें नष्ट करने, तोड़ने के लिए स्थानीय निकाय द्वारा नोटिस दिया जाएगा। इस नोटिस की प्रतिलिपि जिला कलेक्टर को भी भेजी जाएगी।

(1) नोटिस भेजने के 15 दिनों के अंदर प्रतिबंधित शौचालय नहीं तोड़ने या नष्ट नहीं करने पर स्थानीय निकाय द्वारा खुद उसे तोड़ दिया जाएगा। तोड़ने से पहले संबंधित पुलिस थाना प्रभारी तथा तहसीलदार को सूचित किया जाएगा, जिन्हें शुष्क शौचालय तोड़ने की कार्यवाही के दोरान स्वयं उपस्थित होना होगा।

(2) यदि स्थानीय निकाय द्वारा ऊपर उल्लेखित शुष्क शौचालय को तोड़ा जाता है तो तोड़ने का व्यय शुष्क शौचालय के मालिक से वसूल किया जाएगा। कंपनी,

संस्था या किसी विभाग की दशा में यह वसूली उसके प्रबंधक, संचालक या विभागाध्यक्ष से वसूल की जाएगी।

(3) रेल्वे, मिलेट्री कंटोनमेंट, म्युनिसिपाल्टी में सर्वेक्षण करके उन स्थानों को चिन्हित किया जाएगा, जहां शुष्क शौचालय या ऐसे शौचालय मौजूद है जिनसे मानव द्वारा मल निकालना पड़ता है। इन चिन्हित स्थानों को संबंधित विभाग प्रमुख द्वारा चिन्हित किए जाने के 60 दिनों के अंदर नष्ट किया जाएगा। उनके द्वारा नष्ट नहीं किए जाने पर उपरोक्त नियम 4 के उप नियम के 5 के अनुसार उन स्थानो को नष्ट कर दिया जाएगा।

(4) चिन्हिकरण का काम सतत जारी रहेगा। जब भी कहीं भी मैन्युअल स्क्वैजिग की सूचना या जानकारी मिले, जिला कलेक्टर की यह जिम्मेदारी होगी कि वह सूचना मिलने पर या स्वतः संज्ञान से अस्वच्छ शौचालयों के चिन्हिकरण करवाएंगे और नियम 4 के उप नियम (1), (2) एवं (3) के अनुसार अस्वच्छ शोचालयों को नष्ट व खत्म करने की कार्यवाही करेंगे।

अध्याय III

अस्वच्छ शौचालय एवं मैला ढोने की प्रथा पर प्रतिबंध

6. ''द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लयामेंट एज मैन्युअल स्क्वैन्जिंग एण्ड देअर रिहेबिलिटेशन नियम '' के राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद तुरन्त प्रभाव से पूरे देश में अस्वच्छ शौचालय एवं मैला ढोने की प्रथा प्रतिबंधित हो जाएगी। इस प्रतिबंध को लागू करने तथा मैला ढोने की प्रथा की पूरी तरह समाप्ति को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जिला कलेटर की होगी।

(1) मैला ढोने की प्रथा में वे सभी कार्य शामिल है जिसमें मानव द्वारा मल–मूत्र और इसी तरह की गंदगी को मैन्युअली साफ किया जाता है। इसमें शौचालयों से मल उठाना, कहीं ले जाना, फेंकना, ड्रेनेज साफ करना, सेप्टिक टैंक साफ करने का काम मैन्युअली करना शामिल है।

(2) यह प्रतिबंध समस्त स्थानों पर – घरो में, कार्यालयो में, धर्मशालाओं में, मैलों एव अन्य समारोह के दौरान सफाई करने में, सभी तरह के परिसरो में, रेल्वे में, सैनिक छाबनियों में तथा अन्य सभी प्रकार के स्थानों पर लागू रहेगा। किसी भी कार्यालय, परिसर, विभाग, सैनिक छाबनी, रेल्वे, में यदि कोई अस्वच्छ शौचालय पाया जाता है, इसके लिए उस स्थान के संबंधित विभाग के प्रमुख को जिम्मेदार माना जाएगा।

7. यदि कहीं भी अस्वच्छ व शुष्क शौचालय पाया जाता है तथा मैला ढोने की प्रथा (नियम 6 के उननियम 1 के अनुसार) जारी रहती है तो ग्रामीण क्षेत्र में इसकी जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव तथा नगरीय क्षेत्र में नगर पंचायत व नगर पालिका

क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं नगर निगम क्षेत्र में आयुक्त की होगी। इन नियमों के जारी होने के दो माह के अंदर इस प्रतिबंध को लागू नहीं करने को कर्तव्य में लाहपरवाही माना जाएगा तथा इस बात की जानकारी मिलने के 30 दिनों के अंदर जिला कलेक्टर के द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाहीं जाएगी। जिला कलेक्टर द्वारा 30 दिनों के अंदर यह कार्यवाही नहीं किए जाने पर उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जिम्मेदारी संभागायुक्त द्वारा की जाएगी। संभागायुक्त द्वारा यह कार्यवाही जानकारी मिलने के 30 दिनों के अंदर की जाएगी।

8. इन नियमों के राजपत्र में प्रकाशित होने के दो माह के बाद यदि किसी घर, परिसर, कंपनी, छात्रावास, स्कूल, अस्पताल, या किसी भी स्थान पर अस्वच्छ शौचालय या शुष्क शौचालय पाया जाता है या मैला ढोने की प्रथा किसी भी रूप में जारी रहती है तो संबंधित गृह मालिक व संबंधित स्थान के प्रबंधक के विरूद्ध ''अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989'' के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

9 कोई भी व्यक्ति जो किसी भी व्यक्ति से, चाहे वे अनुसूचित जाति को हो, मुस्लिम व ईसाई धर्म को मानने वाला हो, उससे मैला ढोने का काम करवाता है तो ऐसा करवाने वाले के विरूद्ध ''अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989'' अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी और इस अधिनियम में अंतर्गत जेल व जुर्माने की सजा का भागी होगा। साथ ही पीड़ित को अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत राहत राशि प्रदान की जाएगी।

10. ''अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989'' के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ ही उन मुस्लिम एवं इसाई समुदाय के लोगों को भी सुरक्षा, राहत प्रदान की जाएगी जो मैला ढोने की प्रथा में लगे हैं या पहले लगे थें औंर मुस्लिम एवं इसाई समुदाय के लोगों से मैला ढोने का काम करवाने वालो इस अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत दण्डित किया जाएगा।

अध्याय IV

मैला ढोने की प्रथा में लगे या छोड़ चुके लोगों का चिन्हिकरण

11. इस नियम के राजपत्र में प्रकाशित के 60 दिनों के अंदर मैला ढोने की प्रथा में लगे या छोड़ चुके लोगों का चिन्हिकरण का काम शुरू कर दिया जाएगा।

(1) इस चिन्हिकरण के लिए ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में सघन सर्वेक्षण किया जाएगा। इस सर्वेक्षण में अनुसूचित जाति के साथ ही उन सभी लोगों को चिन्हित किया जाएगा, जो

(क) मैला ढोने का काम करते हैं, जिसमें शौचालयों से मल उठाने, साफ करने, ड्रेनेज व सेप्टिक टेंक साफ करने या किसी तरह की कोई और सफाई मैन्युएली करने का काम करते है।

(ख) उक्त काम अब नहीं करते हैं, किन्तु पहले कभी करते थें।

(ग) उक्त काम करने वाले अनुसूचित जाति, मुस्लिम एंव इसाई धर्म को मानने वाले हैं।

(2) इसके अंतर्गत मैला ढोने की प्रथा में लगे या छोड़ चुके लोगों का व्यक्तिगत् चिन्हिकरण किया जाएगा। यदि किसी परिवार में एक से अधिक लोग मैला ढोने वाले या छोड़ चुके हैं तो उन सभी का अलग–अलग चिन्हिकरण किया जाएगा।

12. चिन्हिकरण के लिए किए जाने वाले सर्वेक्षण पर नियमित मॉनिटरिंग एवं देखरेख के लिए ब्लाक स्तर से लेकर राज्य स्तर तक निगरानी समिति गठित की जाएगी।

(1) ब्लाक स्तरीय निगरानी समिति अनुविभागीय दण्डाधिकारी, मैला ढोने की प्रथा में लगी या छोड़ चुकी महिलाएं, ब्लाक में अनुसूचित जाति तथा इस काम में लगे मुस्लिम एवं इसाई धर्म के विकास के लिए सक्रिय स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को मिलाकर बनाई जाएगी। सर्वेक्षण के दौरान हर सप्ताह इस समिति की बैठक आयोजित कर सर्वेक्षण की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

(2) सर्वेक्षण के अंतर्गत मैला ढोने में लगे लोगों के साथ ही उन लोगों को भी चिन्हित किया जाएगा, जो शुष्क शोचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम 1993 के लागू होने की तारीख तक मैला ढोने का काम कर रहे थे, जिन्होंने बाद में यह काम छोड़ दिया है। इस नियम के अंतर्गत उन्हें भी मैला ढोने की प्रथा में लगे लोगों के रूप में ही चिन्हित किया जाएगा।

(3) चिन्हित किए गए लोगों की सूची ग्राम पंचायत क्षेत्र में ग्रामसभा की बैठक का आयोजन कर उसमें अनुमोदित की जाएगी और सार्वजनिक स्थानो पर चस्पा की जाएगी। यह ध्यान रखा जाएगा कि सार्वजनिक स्थान में एक उसकी संबंधी गांव या कस्बे में बाल्मिकी समुदाय, मुस्लिम, इसाई एवं सिख धर्म के मैला ढोने वाले समुदाय की रहवासी बस्ती में भी चस्पा की जाएगी।

(4) नगरीय या शहरी क्षेत्र में चिन्हित लोगों की सूची विभिन्न स्थानों पर चस्पा की जाएगी, जिसमें नगर पंचायत कार्यालय, नगर पालिका कार्यालय, नगर निगम कार्यालय, या शहर के सार्वजनिक स्थान, बाल्मिकी जाति की रहवासी बस्ती, मैला ढोने की प्रथा में लगे मुस्लिम, इसाई एवं सिख धर्म के लोगों की बस्ती में चस्पा की जाएगी।

(5) चिन्हित सूची के चस्पा किए जाने के साथ ही उस पर लोगों की अनापत्ति एवं दावे आमंत्रित किए जाएगे। यदि किसी भी व्यक्ति को उस सूची में शामिल किसी भी नाम पर कोई आपत्ति हो या किसी भी व्यक्ति को अपना नाम उस सूची में जुड़वाना हो तो वह इस आशय का एक आवेदन प्राधिकृत अधिकारी को देंगे। प्राधिकृत अधिकारी उन आवेदनों को निगरानी समिति की बैठक में प्रस्तुत

करेंगे। निगरानी समिति द्वारा उन आवेदकों की जांच करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी। समिति की रिपोर्ट का आधार पर आवेदनों पर निर्णय लिया जाएगा। जांच की रिपोर्ट आवेदक को अनिवार्य रूप से दी जाएगी।

(6) चिन्हित किए गए लोगों की सूची इंटरनेट पर अपलोड की जाएगी तथा उसकी बेवसाईट की जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित की जाएगी।

(क) यह सूची उस क्षेत्र में प्रसारित होने वाले दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जाएगी।

(7) चिन्हित किए गए लोगों को एक प्रमाण पत्र एवं फोटो युक्त कार्ड जारी किया जाएगा, जिसके आधार पर उन्हें पुनर्वास योजना का लाभ दिया जाएगा।

(क) चिन्हित किए गए प्रत्येक व्यक्ति को एक पंजीयन नंबर दिया जाएगा, जिसे इंटरनेट पर वेबसाईट से जोड़ा जाएगा। किसी भी चिन्हित व्यक्ति की जानकारी उसके नाम या पंजीयन नंबर से वेबसाईट पर देखी जा सकेगी।

(8) चिन्हिकरण के कार्य पर निगरानी के लिए एक जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। जिला कलेक्टर इस समिति का अध्यक्ष होगा। साथ ही मैला ढोने की प्रथा में लगी या छोड़ चुकी कम से कम दो महिलाएं, जिले में इस मुद्दे पर कार्यरत् स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि एव जनप्रतिनिधि इस समिति के सदस्य होंगे।

(9) सर्वेक्षण की अवधि में जिला स्तरीय समिति की पाक्षिक रूप से बैठक की जाएगी और जिले में चल रहे सर्वेक्षण कार्य की समीक्षा की जाएगी।

(10) चिन्हीकरण के कार्य पर निगरानी के लिए एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। राज्य के मुख्य सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे तथा अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य, सामाजिक न्याय मंत्रालय के सचिव एवं राज्य में इस मुद्दे पर कार्यरत् स्वयं सेवी संस्था के प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य होगे। इस समिति की बैठक प्रतिमाह होगी। राज्य में चल रहे सर्वेक्षण एवं चिन्हीकरण के काम की समीक्षा इस समिति द्वारा की जाएगी।

(11) ब्लाक, जिला एवं राज्य स्तरीय समिति तब तक काम करती रहेगी, तब तक कि चिन्हिकरण होने के बाद सभी हितग्राहियों को पूरी तरह से पुनर्वास नहीं हो जाए। यह समिति मैला ढोने की प्रथा में लगे एवं उसे छोड़ चुके लोगों के चिन्हींकरण से लेकर पुनर्वास तक के सभी कार्यों पर निगरानी रखेगी।

13 चिन्हिकरण के लिए किए जाने वाले सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण होने तथा सूची बनाने का कार्य पूर्ण होने के बाद भी यदि कोई मैला ढोने वाले या मैला ढोना छोड़ चुके लोग मिलते हैं तो उन्हें सूची में शामिल करने का अधिकार निगरानी समिति को होगा। इसी

तरह यदि कोई व्यक्ति इस सूची में सूची में अपना नाम शामिल करने का दावा निगरानी समिति के समक्ष करते हैं, तो निगरानी समिति उस दावे की जांच करेगी और दावा सही पाए जाने पर दावेदार का नाम सूची में शामिल कर उसे प्रमाण पत्र और फोटोयुक्त कार्ड जारी करेगी।

अध्याय V

मैला ढोने की प्रथा में लगे या छोड़ चुके लोगों का पुनर्वास

14 चिन्हित लोगों के पुनर्वास की जिम्मेदारी राज्य की होगी, जिसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को अपेक्षित आर्थिक सहयाता दी जाएगी। यह राज्य की जिम्मेदारी होगी कि नियम 11 के अंतर्गत हितग्राहियों की सूची बनने के अधिकतम 60 दिनों के अंदर पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू करेगी।

(क) नियम 11 के अंतर्गत चिन्हित सभी 100 प्रतिशत लोगों का पुनर्वास किया जाएगा।

(ख) पुनर्वास कार्य पर निगरानी नियम 12 के अंतर्गत ब्लाक से लेकर राज्य स्तर तक गठित निगरानी समितियां करेगी। निगरानी की प्रक्रिया नियम 12 के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों के अनुसार होगी

15 पुनर्वास के रूप ग्रामीण क्षेत्र चिन्हित प्रत्येक व्यक्ति को राज्य द्वारा 5 एकड़ भूमि तथा आवास के लिए घर की सुविधा दी जाएगी।

16. नगरीय एवं शहरी क्षेत्र के हितग्राहियों को जमीन का आवासीय पट्टा दिया जाएगा और नगरीय क्षेत्र में नगर पंचायत, नगर पालिका एव ंनगर निगम क्षेत्र में स्थानीय निकाय, सरकार या सरकार के किसी भी उपक्रम द्वारा बनाई जाने वाली व्यवसायिक दुकानों, शॉपिंग काम्प्लेक्स में चिन्हित हितग्राहियों को प्राथमिकता से दुकानें आवंटित की जाएगी। दुकानों में आवंटन में तय राशि की 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। छूट की राशि का भुगतान राज्य द्वारा संबंधित निकाय को किया जाएगा। जहां इन दुकानों की नीलामी की व्यवस्था होगी, वहां चिन्हित हितग्राहियों के लिए दुकाने आरक्षित रखने के बाद शेष दुकानों का नीलाम किया जाएगा।

17. सूची के अंतर्गत चिन्हित प्रत्येक व्यक्ति को कुल 4 लाख रूपए मुआवजा दिया जाएगा। इसमें से 50 हजार रूपए तुरन्त दिए जाएंगे (जो काम छोड़ते हैं उन्हें काम छोड़ते समय तथा जो पहले काम छोड़ चुके हैं उन्हें चिहिन्त किए जाने के 60 दिनों के अंदर यह राशि दी जाएगी) शेष 3.50 लाख रूपए की राशि अगले एक माह के अंदर दी जाएगी।

(1) इस मुआवजे के साथ ही उक्त व्यक्तिों को जीवन भर पेंशन दी जाएगी। यह पेंशन उसी अनुपात में दी जाएगी, जिस अनुपात में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को उनकी सेवा निवृति के बाद दी जाती है।

18. नियम 11 के अंतर्गत चिन्हित लोगों को उन सभी सुविधाओं एवं सरकारी विकास योजनाओं का लाभ अनिवार्य रूप से दिया जाएगा, जो बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों) को दिया जाता हैं। चाहे उनका नाम बीपीएल सूची में हो या न हो।

19. चिन्हित लोगों को व्यक्तिगत् रूप से पुनर्वास का लाभ दिया जाएगा।

(1) महिला हितग्राही की दशा में सभी आवंटन चिन्हित महिला के नाम पर होंगे, जबकि पुरूष हितग्राही की दशा में सभी आवंटन उसकी पत्नी (अविवाहित होने की दशा में उसकी माता या अविवाहित बहिन) के नाम पर होगा।

(2) परिवार में कोई महिला न होने की दशा में उस पुरूष के एकल नाम पर आवंटन होगा।

(3) मुआवजा राशि के रूप में दी जाने वाले राशि पुरूष के मामले में उसकी पत्नी उक्त उप नियम (1) के अनुसार संयुक्त बैंक खाते में जमा की जाएगी।

(4) महिला होने की दशा में मुआवजा राशि उसी महिला के बैंक खाते में जमा की जाएगी।

20 चिन्हित व्यक्तियों पुत्र–पुत्रियों को शिक्षा के लिए विशेष छात्रवृति प्रदान की जाएगी।

(1) कक्षा से पहली से पांचवी तक पढ़ने वाले पुत्र, पुत्री व आश्रित बच्चे को प्रति विद्यार्थी 12000 रूपए वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

(2) कक्षा छठी से आठवी मे पढ़ने वाले पुत्र, पुत्री व आश्रित को प्रति विद्यार्थी 18 रूपए वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

(3) कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक पढ़ने वाले पुत्र, पुत्री व आश्रित को प्रति विद्यार्थी 36000 रूपए वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

(4) कक्षा 12 वीं के पश्चात किसी भी तरह की तकनीकी, महाविद्यालयीन व उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले पुत्र, पुत्री व आश्रित को प्रति विद्यार्थी 1,20,000 रूपए वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

21. स्थानीय निकाय स्तर पर नियुक्त किए जाने वाले सेवाप्रदातओं जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत के सचिव, अध्यापक, ए.एन.एम. सरकारी राशन दुकान वितरक आदि सभी पदों पर इस नियम के अंतर्गत निर्मित सूची में चिन्हित लोगों या उनके परिजनों (पुत्र, पुत्रियों, पति, पत्नी, अविवाहित बहन) को नियुक्ति में अनिवार्य रूप से प्राथमिकता दी जाएगी।

22. चिन्हित महिलाओं को स्थनीय निकाय, गांव एवं मोहल्ला स्तर पर स्कूल, आंगनबाड़ी, साझा चूल्हा में मध्यान्ह भोजन बनाने के लिए किए जाने वाले चयन में प्राथमिकता दी जाएगी।

23. रेल्वे में इस प्रथा में जुड़े लोगों को रेल्वे से संबंधित ठेकों व कामों में प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही पेन्ट्री–कार में खाना पकाने एवं वितरण करने में काम में उन्हें नियुक्ति दी जाएगी।

24. मैला ढोने की प्रथा से मुक्त व्यक्तियों को उम्र भर निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध करवाई जाएगी। किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित होने पर उन्हें उच्च गुणवत्ता वाली जांच एवं चिकित्सा की सुविधा सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। यदि यह चिकित्सा निजी अस्पतालों में उपलब्ध हो तो वहां भी सरकारी खर्च पर यह चिकित्सा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए सरकार मैला ढोने की प्रथा में लगे एवं उससे मुक्त हुए प्रत्येक व्यक्ति को 2 लाख रूपए प्रति वर्ष की राशि कवर करने वाला चिकित्सा बीमा (मेडीक्लेम) करवाएगी, जिसका प्रीमीयम राज्य सरकार जमा करेगी।

अध्याय VI

पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी

24. प्रत्येक चिहिन्तकृत व्यक्ति की जानकारी उसके पंजीयन नंबर के साथ वेबसाईट पर अपलोड की जाएगी। जिसमें उसे दिए गए समस्त लाभ का विवरण होगा।

25. पुनर्वास कार्य के लिए राज्य द्वारा ब्लाक स्तर से लेकर जिला स्तर पर एक अभिकरण या एजेंसी गठित की जाएगी। यह एजेंसी नियम 12 के अंतर्गत गठित निगरानी समितियों की मॉनिटरिंग में काम करेगी।

(1) इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर के साथ ही एक पूर्णकालिक अधिकारी को इस प्रथा को समाप्त करने तथा इस प्रथा में लगे व छोड़ चुके लोगों पुनर्वास के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी होगीं।

26. चिन्हितकरण से लेकर पुनर्वास तक के किसी भी कार्य में संबंधित लोक सेवक द्वारा लाहपरवाही किए जाने पर उसे ''अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 2(7) के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाएगा और उसे दण्डित किया जाएगा।

28. चिन्हिकरण से लेकर पुनर्वास तक के सभी कामों को पूर्ण करने के लिए जिला स्तर पर जिला कलेक्टर उत्तरदायी होंगे।

(1) जिला कलेक्टर हर माह नियमित रूप से पुनर्वास कार्य की समीक्षा करेंगे और निगरानी समिति को उससे अवगत् कराएंगे।

(2) यदि जिला कलेक्टर को चिन्हिकरण व पुनर्वास कार्य के संबंध में कोई शिकायत मिलती है तो वे शिकायत मिलने के सात दिनों के अंदर उसी जांच शुरू करवाएंगे और जांच रिपोर्ट शिकायतकर्ता को अनिवार्य रूप से भेजेंगे।

29. पुनर्वास कार्य में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए संबंधित राज्य के लोकायुक्त की अध्यक्षता में लोकपाल गठित किया जाएंगा। इस लोकपाल को शिकायत प्राप्त करने, सुमोटो (स्वतः संज्ञान लेने) तथा कार्यवाही करने का अधिकार होगा। भ्रष्टाचार के मामले में लोकपाल को ''भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम'' के अंतर्गत

सीधे न्यायालय में संबंधित लोक सेवक व क्रियान्वयन एजेंसी के विरूद्ध मुकदमा दायर करने का अधिकार होगा।

(1) जिस लोक सेवक के विरूद्ध लोकपाल द्वारा जांच की जाएगी, जांच शुरू करने से पहले उसे तुरन्त अपने पद से व उस स्थान अपदस्थ कर दिया जाएगा, जहां वह कार्यरत् है।

(2) नियम 26 एवं नियम 29(1) के अंतर्गत लोक सेवकों के विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाहियों में शासन से अनुमति की अवश्यकता नहीं होगी। यानी इस मामले में दण्ड प्रक्रिया संहित की धारा 197 निस्प्रभावी होगी।

अध्याय VII
विशेष

30 अधिनियम के मैला उठाने, सीवर की सफाई करने तथा अन्य सफाई करने वाले कामों को मैला ढोने की परिभाषा में तभी माना गया है, जब इन कामों को बगैर सुरक्षा उपकरणों, मॉस्क आदि के करवाया जाता हैं। किन्तु यह परिभाषा सामाजिक न्याय के विपरीत एवं अव्यावहारिक है। जिससे इस प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। अतः मैला ढोने का काम किसी भी स्थिति में प्रतिबंधित माना जाए, चाहे वह सुरक्षा उपकरणों के साथ हो या उसके बगेर हो। इसके लिए अधिनियम के संशोधन किया जाए। जब तक अधिनियम में संशोधन नहीं हो, तब तक इसे नियमों के अंतर्गत लागू किया जाएगा।